न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 08/2016

| सायल | बनाम | गैरसायल |
|---|---|---|
| जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर | | तेजसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोहनजी का क्रेशर, बाड़मेर, पुलिस थाना जिला बाड़मेर |

**परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975**

उपस्थितः– 1. श्री अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री भगवतसिंह राठौड, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक : 06.04.2021

1. सायल की ओर से दिनांक 13.06.2016 को गैर सायल तेजसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोहनजी का क्रेशर, बाड़मेर, पुलिस थाना जिला बाड़मेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2/3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन बढती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरुरी है। यह शक्स ताश के पत्तों पर रूपये दांव पर लगाकर जुए खेलता है जिसमें एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगड़े होते रहते हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त होता है। ऐसे बदमाश व समाज कंटक का समाज में रहने से और भी नये लड़के इसकी संगत में आकर अपराध कर सकते हैं। ऐसे गुण्डा तत्व को जिले से बेदखल करना निहायत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस बदमाश [illegible] करता है, तो यह बदमाश अपने सहयोगियों की सहायता से उसको धमकाता है तथा इस बदमाश से आमजन इतना भयभीत हैं कि इसके खिलाफ [illegible] अथवा रिपोर्ट करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। उक्त शक्स [illegible] सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (iii) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है–

| क्र. सं. | मु. न. व दिनांक | धारा | पुलिस थाना | चालान नं. व दिनांक | न्यायालय निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390/09.10.14 | 341,323/34 IPC | बाड़मेर कोतवाली | 238/30.10.14 | सजा/03.11.14 |
| 2 | 521/12.12.15 | 13 RPGO Act | बाड़मेर कोतवाली | 313/23.12.15 | सजा/01.06.16 |
| 3 | 113/17.03.16 | 13 RPGO Act | बाड़मेर कोतवाली | 58/23.03.16 | सजा/12.04.16 |

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल की ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब में जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरूद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत परिवाद में 3 प्रकरणों का विवरण दिया गया जिसमें से मात्र 2 RPGO के तथा एक प्रकरण धारा 323, 341 भादंसं के तहत है। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में परीवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है न कि इनमें गैर सायल को कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। गैर सायल 22 वर्ष का नौजवान व्यक्ति है जो अपने परिवार व वृद्ध माता–पिता का भरण–पोषण करता है जिस पर परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत गैर सायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण इस अधिनियम की परिभाषा में नहीं आते हैं। यदि किसी मुलजिम ने 6 माह की अवधि में तीन या तीन से अधिक प्रकरण कारावास या मृत्यु दण्ड जैसे अपराध कारित किए जाते हैं तो उसके विरूद्ध इस्तगासा पेश किया जा सकता है। गैर सायल के विरूद्ध पिछले 6 माह में इस प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप–धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested



अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री बुद्धाराम बिश्नोई तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा साक्ष्य गवाह के रूप में बयान दर्ज करवाकर इस्तगासा के तथ्यों की ताईद की गई। सायल से गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं चाल–चलन की रिपोर्ट ली गई जिसमें गैर सायल के विरूद्ध उपर्युक्त उल्लेखित प्रकरणों के अलावा कोई प्रकरण दर्ज रजिस्टर होना नहीं बताया एवं आपराधिक गतिविधि शांत पाई गई है।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध भादसं एवं RPGO के अपराध दर्ज हुए है जिसमें न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जाकर परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरूद्ध उल्लेखित प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए। सायल पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1668 दिनाँक 23.03.2021 द्वारा गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों एवं अन्य प्रकरणों बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर सायल की आपराधिक गतिविधियाँ शांत होना बताया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध 13 RPGO का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्धदोष ठहराया गया हों तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। यद्यपि गैर सायल के विरूद्ध 2 प्रकरण वर्ष 2015 एवं 2016 में दर्ज हुए हैं तथा उक्त प्रकरणों में गैर सायल को लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर सिद्धदोष घोषित किया गया है तथा परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ देकर रिहा किया गया है। इसके पश्चात गैर सायल ने कोई अपराध किसी अधिनियम के अधीन कारित नहीं किया है तथा उसकी वर्तमान गतिविधियाँ शांत होना पाया गया है। अतः इसके विरूद्ध 5 वर्ष पूर्व उसके आपराधिक कृत्यों के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:03 IST
Reason: Self Attested



अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

प्रतीत नहीं होता है जबकि उसने अपने आचरण में सुधार कर वर्तमान में शांति से जीवन–यापन कर रहा है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सायल की ओर से प्रस्तुत वर्तमान गतिविधियों की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) के अधीन गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

5. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:48:03 IST
Reason: SelfAttested